

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प. 1(78)वन/2022

जयपुर, दिनांक:—यथा ई हस्ताक्षर

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
जयपुर बी-ब्लॉक, अरण्य भवन,
झालाना, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.9885 ha. forest land in favour of Public Works Department Rajasthan for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil- Viratnagar ,District -Jaipur , Rajasthan FP/RJ/ROAD/144437/2021 .

संदर्भ:— परिवेश 1.0 प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/144437/2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/144437/2021 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होने के कारण सीधे ही वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को अग्रेषित करने हेतु आपके पत्र क्रमांक 8बी/राज048/2022—जयपुर दिनांक 15.01.2026 से निर्देश प्राप्त हुये है।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि परिवेश 1.0 पोर्टल पर प्रस्ताव को सीधे ही भारत सरकार को भिजवाने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। उक्त के संबंध में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. को दिनांक 28.01.2026 (प्रति संलग्न) को अवगत करा दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के संबंध में निमनानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(बीजो जॉय)

विशिष्ट शासन सचिव

Document certified by BIJO JOY
<Joybijo@gmail.com>

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :11-05-2026 11:36:13

RajKaj Ref No.:
22093049

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

ई-मेल:-ccf.fca.rajasthan@gmail.com Tel. No. 0141-2713949

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुवसं./ 2931

दिनांक 21.11.25

विशिष्ट शासन सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:-Diversion of 0.9885 ha . of forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for " Construction of Road from NH - 8 KM Stone No - 181 (Aantela) to SH - 08A (Khachriyawas - Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil - Viratnagar, District -Jaipur (Rajasthan) "
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/144437/2021)

संदर्भ:-भारत सरकार द्वारा जारी ई.डी.एस. दिनांक 30.10.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी ई.डी.एस. दिनांक 30.10.2023 के संबंध में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त जवाब से यह कार्यालय सहमत है।

चूँकि प्रस्ताव काफी पुराना है एवं प्रकरण में तत्समय राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत कार्यवाही की जा चुकी है अतः दण्डात्मक NPV राशि की शर्त के साथ स्वीकृति पर विचार किया जाना उचित होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

hp

(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान

अरावली भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004

email I'd:- ccf.jpr.forest@rajasthan.gov.in Cont. no. 0141-2710524

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2025-26/
निमित्त,

दिनांक:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के पत्रांक दिनांक 30.10.2023,

एवं आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 8362 दिनांक 15.12.2023 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उक्त सन्दर्भित पत्रों से आलौच्य प्रकरण में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर आक्षेपों का जवाब कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) के पत्र क्रमांक (राजकाज रेफरेंस नं.) 18680339 दिनांक 06.11.2025 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया है। जो इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:-

क्र.सं.	कमियां	जवाब
1.	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation. Thus, details of the officers involved in the violation shall be submitted.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 04.09.2025 (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जवाब दिनांक 25.10.2025) (संलग्न) के अनुसार उक्त सडक का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा. नि.वि. द्वारा उक्त सडक का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सडक सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सडक के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सडक पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध हैं। (तदानुसार यूजर एजेन्सी ने अपने कार्यालय के पूर्व पत्रांक स्पे0 1 दिनांक 26.07.2023 के संलग्न कर वचनबद्धता कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर(उत्तर) में जमा कराये गये थे जो कार्यालय उप वन

Signature valid

Digitally signed by Raji Chaturvedi
Designation: Chief Conservator
Forest
Date: 2025.11.12 18:31:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18791710
eSign 1.0



		<p>संरक्षक, जयपुर(उत्तर) के पूर्व पत्रांक 8181 दिनांक 01.08.2023 के संलग्न कर भिजवाये गये थे। जिनकी छायाप्रति पुनः संलग्न हैं।)</p> <p>सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर.नं० 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा. नि. विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रू. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई हैं। उक्त समय में सा. नि. वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।</p>
--	--	--

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक
जयपुर

क्रमांक:- एफ 5 () एफ.सी.ए./मुवसंज/2025-26/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, जयपुर(उत्तर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref No.:
18791710
eSign 1.0

Digitally signed by Raji Chaturve
Designation: Chief Conservator C
Forest
Date: 2025.11.12, 8:31:05 IST
Reason: Approved

❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाड़ा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaiournorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ () FCA/उवसंजउ / 2025-26 /
निमित्त.

दिनांक

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय:- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के पत्रांक दिनांक 30.10.2023, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021/एफसीए/प्रमुवसं/8362 दिनांक 15.12.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 233 दिनांक 19.01.2024 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि उक्त सन्दर्भित पत्रों एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 617 दिनांक 18.01.2024, पत्रांक 4884 दिनांक 16.05.2024 के क्रम में यूजर एजेन्सी ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 04.09.2025 (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जवाब दिनांक 25.10.2025) द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया हैं। जो इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं:-

क्र.सं.	कमियां	जवाब
1.	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation. Thus, details of the officers involved in the violation shall be submitted.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक 109 दिनांक 04.09.2025 (परिवेश पोर्टल पर अपलोड जवाब दिनांक 25.10.2025) (संलग्न) के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि. वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध हैं। (तदानुसार यूजर एजेन्सी ने अपने कार्यालय के पूर्व पत्रांक स्पे0 1 दिनांक 26.07.2023 के संलग्न कर वचनबद्धता इस कार्यालय में जमा कराये गये थे जो इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 8181 दिनांक 01.08.2023 के संलग्न कर भिजवाये गये थे। जिनकी छायाप्रति पुनः संलग्न हैं।) सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड, पावटा, जयपुर के

Fca Inf 990-
91

Digitally signed by De... Pratap
Jagawat
Designation : ... Conservator Of
Forest
Date: 2025.11.06 10:57:18 IST
Reason: Approved



		<p>नाम एफ.आई.आर.नं० 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा. नि. विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई हैं। उक्त समय में सा. नि. वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।</p>
--	--	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

जयदीय,

(जी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ/2025-26/

दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर।

उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

Fca Inf 990-
91

Signature valid

Digitally signed by De...ara Pratap
Jagawat
Designation : ...onservator Of
Forest
Date: 2025.11.06 10:57:18 IST
Reason: Approved

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड द्वितीय विराटनगर
क्रमांक:- 109
दिनांक:- 04.09.2025

श्रीमान उपवन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय:-प्रस्ताव Diversion of 0.9885 ha. Of forest land in favor of PWD
Rajasthan Construction of road from NH-8 KM stone No. 181
(Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to
13/00 Tehsil- Viratnagar Dist. Jaipur (Raj.) & Proposal No.
FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

प्रसंग:-आपके कार्यालय के पत्रांक 4884 दिनांक 16.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा आन
लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of road from NH-8 KM stone No. 181 (Aantela) to SH-
08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00 Tehsil- Viratnagar Dist.
Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 का परीक्षण करने के उपरान्त
लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1	The State Government has not mentioned the name of officers responsible for violation . thus details of the officers involved in the violation shall be submitted.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्टर. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध है एवं तदनुसार वचनबद्धता संलग्न है विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर नं. 218/042 दिनांक 25.06.2021 को दर्ज कराई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11259/- दिनांक 16.03.2022 चैक संख्या 001296 द्वारा जमा करवा दी गई है। उक्त समय में सा.नि.वि. खण्ड कोटपूतली में अधिशाषी अभियन्ता श्री गोविन्द गोपाल गोयल थे।

GENERAL Letter

(डॉ. पी. जागायत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड द्वितीय विराटनगर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)



पुराना कोल वि.प्रो. नोडल पत्र, पानी पेश, जयपुर-302010 e-mail: dc@jalpurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 8181

दिनांक 01/08/2023

मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।

विषय- प्रस्ताव "Construction of road from NH-8 KM stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil- Viratnagar, Dist.- Jaipur (Raj.) & Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के संबंध में।

सन्दर्भ- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021/एफसीए/प्रमुखसं/6476 दिनांक 26.08.2023 व आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3835 दिनांक 6.7.23 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वल प्रमुख) राज0, जयपुर के पत्रांक एफ.14(PWD) 2021/एफसीए/प्रमुखसं/6476 दिनांक 26.08.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव में जारी किये गये EDS का बिन्दुवार जवाब निम्नानुसार तैयार कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	As per reply of the point no. 1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.	कार्यालय सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय, विराटनगर के पत्र क्रमांक SP-1 दिनांक 26.07.2023 (संलग्न) के अनुसार उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस संबंध में जो कोई भी दण्डात्मक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए वचनबद्ध हैं एवं तदनुसार वचनबद्धता संलग्न हैं। सा. नि. वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय द्वारा उक्त प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा. नि. वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आई.आर.नं0 218/042 दिनांक 25.03.2021 को दर्ज कराई गई थी। जिसमें सा. नि. वि. विभाग द्वारा एबजाना के रूप में राशि रु. 11,259/- दिनांक 16.03.2022 को बैंक संख्या 001283 द्वारा जमा करवा दी गई है। प्रकरण में पूर्व में वन वन प्रजापति की जो भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4 सेट में।

क्रमांक :- एफ() FCA/उवसंजउ / 2023-24 / 8182

प्रतिनिधि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी

Signature

(निम्नलिखित)
उप वन संरक्षक

Digitally signed by Pooja Bishnoi
Of Forest
Date: 2023.08.01 10:23:53
Reason: Approved

Rajkaj Ref No. : 4419522

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)



कायालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, विराटनगर

क्रमांक: SP-1

दिनांक: 26/7/23

सेवामें,

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)



विषय:- Diversion of 0.9885 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khochriyawac-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District -Jaipur (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- पत्र क्रमांक: एफ () FCA/उवसंजउ/2022-23/7198 दिनांक 30.03.2023
महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khochriyawac-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District-Jaipur (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021 का परीक्षण करने के उपरान्त लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है:-

क्र. सं.	आक्षेप	जवाब
1.	As per reply of the point no.1 the proposed road is constructed with prior approval please submit the copy of approval.	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा.नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं हैं। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हेक्ट. में सड़क पूर्व में ही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई जा चुकी है। भारत सरकार/राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई भी दण्डालक राशि/कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी इस हेतु विभाग नियमानुसार राशि जमा कराने के लिए बचनबद्ध है एवं तदनुसार बचनपद्धता सलग्न है। विभाग द्वारा उक्त प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 26 का उल्लंघन किये जाने पर तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी पावटा द्वारा तत्कालीन सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड पावटा जयपुर के नाम एफ.आर्.आर नं. 218/042 दिनांक 25.03.2021 को वर्ज करवाई गई थी जिसमें विभाग द्वारा एवजाना के रूप में राशि रु. 11,269/- दिनांक 16.03.2022 धंक संख्या 001299 द्वारा जमा करवा दी गई है।

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(मनमूल विरनोई)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

नवावीय
जा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

Form No. 16 Part of CAU Cash Payment Bank Cheques

ISSUING BRANCH & CODE
 REF. No. 21991300118

DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS JAIPUR NORTH

ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY NINE ONLY

₹ 11259.00

Purchaser Name: LALIT KUMAR SHARMA

Jaipur Head Office

BRANCH & HEAD CODE

DATE: 06/08/2024

AMOUNT IN WORDS: ELEVEN THOUSAND TWO HUNDRED FIFTY NINE ONLY

001296 3037650101 86

(मनमूल विरनोह)
 उप वन संरक्षक
 जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीना)
 सहायक अभियंता
 ज.पि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

(डी. पी. जागावत) IFS
 उप वन संरक्षक
 जयपुर (उत्तर)

रा.नु.जां.

वन विभाग (फार्म आमवनी) नं. 1 (क)
वन विभाग राजस्थान
डिवीजन

प्रत 1

बुक नं. 154

सदर नं.

16/3/2022

पंज. 034

नाका नं.

ता.

06

से

तक

नाम नाका ... आंला ... नाम रेंज पावटा

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे FIRM 218/042

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार सहयक अमिनीग वी विभाग

सकूनत मय पता ... खण्ड पावटा जयपुर

मार्फत

किस्म पैदावार ... एवजाना

तादाद ... शरह

तादाद महसूल ... 12-9-6

रकम ध्याद एका ... 11259/-

साविक ... 11259/- मीजान

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

(डी. पी. सामंत)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीना)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

(अनिल कुमार मीना)
जा.नि.वि. उपखण्ड

कार्यालय सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड द्वितीय, विराटनगर

विषय:- Diversion of 0.9085 Hect. forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District -Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/ROAD/144437/2021

अण्डरटेकिंग वास्ते दण्डात्मक राशि जमा कराने हेतु

मैं, सहायक अभियंता, सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि Construction of Road from NH-8 KM Stone No-181 (Aantela) to SH-08A (Khachriyawas-Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District -Jaipur (Rajasthan) हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह सा.नि.वि. विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी। इस हेतु विभाग वचनबद्ध है।

दिनांक - 01.05.2023

उस्तावर

[Handwritten Signature]

सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II

(जयपुर विभाग)
उप वन संरक्षक
जयपुर (जयपुर)

[Handwritten Signature]
(अनिल कुमार नीजा)
सहायक अभियंता
सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

(डी. पी. जागावत) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

कार्यालय सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

क्रमांक:- 203

दिनांक:- 6/2/23


सहायक अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
उपखण्ड-विराटनगर।

विषय:- सम्पर्क सड़क एनएच-8 बागावास अहिरान से आंतेला वाया झिण्डा वाला
बालाजी कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज)

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना के संदर्भ में लेख है कि उक्त सड़क
कृषि उपज मण्डी समिति जयपुर (अनाज) के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा वर्ष 1992 से
1994 की अवधि में निर्मित करवाई गई थी जिसकी लम्बाई 4.00 किमी. एवं लागत राशि
रुपये 18.00 लाख है।

इस विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में निर्मित करवाई गई अन्य सड़कों के
साथ इस सड़क को भी आपके विभाग को सम्भलवाया जा चुका है।
पत्र सूचनार्थ प्रस्तुत है।



(शिवराज चावहान)
सहायक अभियंता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

दिनांक:-

क्रमांक:-
प्रतिनिधि:- श्रीमान् अशोक अभियंता, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड, खण्ड-जयपुर पत्र को सूचनार्थ।


(अनिल कुमार मीना)
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)

³
(डी. पी. जागावल) IFS
उप वन संरक्षक
जयपुर (उत्तर)


(अनिल कुमार मीना)
सहायक अभियंता
उपखण्ड विराटनगर-II जयपुर

(शिवराज चावहान)
सहायक अभियंता,
राज0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
उपखण्ड-जयपुर द्वितीय

174